[2019] 2 उम. नि. प. 184

सेबस्तियानी लाकरा और अन्य

बनाम

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य

12 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 168 और 166 – न्यायसंगत प्रतिकर – कटौतियां – मोटर यान दुर्घटना में कारित मृत्यु की दशा में प्रतिकर का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ आय की हानि की संगणना करते समय मृतक के विधिक वारिसों-दावेदारों द्वारा कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन प्राप्य रकमों की कटौती नहीं की जा सकती है ।

प्रस्तुत मामला मोटर यान दुर्घटना में मृत्यु कारित होने के कारण मृतक को संदेय प्रतिकर की संगणना करने और उसमें से की जाने वाली कटौतियों के संबंध में है । प्रस्तुत अपीलें दावेदारों-अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई जिसके द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 40,90,000/- रुपए के प्रतिकर को घटाकर 36,00,000/- रुपए कर दिया गया था । अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला था कि मृतक की मृत्यु के समय उसका पुनरीक्षित मूल वेतन 51,328/- रुपए था और वह 7,237/- रुपए के महंगाई भत्ते का हकदार था, अर्थात्, वह कुल 58,565/- रुपए प्राप्त कर रहा था । तथापि, अधिकरण ने प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए, मृतक की मासिक आय 50,000/- रुपए प्रति मास निर्धारित की और उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए 1/3 रकम की कटौती की जिसके परिणामस्वरूप 33,333/- रुपए प्रति मास की रकम शेष रह गई । चूंकि मृतक की आयु 52 वर्ष थी इसलिए अधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का अनुसरण करते हुए 11 का गुणज लागू किया और आय

की हानि के लिए 40,00,000/- रुपए का प्रतिकर निर्धारित किया, अंतेष्टि व्यय के लिए 25,000/- रुपए, संपदा की हानि के लिए 5,000/- रुपए, सहजीविता की हानि मद्धे 50,000/- रुपए तथा स्नेह की हानि के लिए 10,000/- रुपए जोड़े गए, अर्थात् दावेदारों को कुल 40,90,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था । दावेदारों और बीमा कंपनी ने प्रतिकर की रकम को चुनौती देते हुए अपीलें फाइल कीं । बीमा कंपनी द्वारा उठाया गया मुख्य आधार यह था कि दावेदारों को कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन 50,082/- रुपए प्रति मास की राशि का संदाय किया जा रहा था । उच्च न्यायालय ने कोई कारण दिए बिना प्रतिकर में लगभग 5,00,000/- रुपए की कमी करके उसे 36,00,000/- रुपए कर दिया । किसी भी न्यायिक निर्णय के लिए कारण उसके मर्म होते हैं । कोई भी न्यायिक आदेश कारण दिए बिना पूर्ण नहीं होता है और यह प्रत्याशा की जाती है कि प्रत्येक ऐसे न्यायालय को. जो आदेश पारित करता है, उसके लिए कारण देने चाहिएं । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 168 में यह आदिष्ट है कि दावेदारों को "न्यायसंगत प्रतिकर" का संदाय किया जाना चाहिए । प्रतिकर की संगणना करने की ऐसी कोई पद्धति, जिसके द्वारा "न्यायसंगत प्रतिकर" अधिनिर्णीत नहीं किया जाता है, अधिनियम के अनुसार नहीं होगी । "न्यायसंगत" शब्द का आयाम काफी व्यापक है । न्यायालयों को किसी शब्द का निर्वचन ऐसी रीति में करना चाहिए जिससे अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति होती हो, जो कि मृतक के आश्रितों को पर्याप्त और न्यायसंगत प्रतिकर प्रदान करना है । यह भी स्मरण रखा जाना चाहिए कि प्रतिकर का संदाय केवल एक बार न कि बार-बार किया जा सकता है । (पैरा 5)

इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि प्रतिकर की रकम में से मृतक के बीमे के कारण या पेंशनिक फायदों या उपदान या उसके रिश्तेदार को नियोजन देने के कारण कटौतियां अनुज्ञात नहीं की जा सकती हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि ये सभी रकमें मृतक द्वारा अन्य

व्यक्तियों से किए गए संविदागत संबंधों के कारण उपार्जित की जाती हैं । यह नहीं कहा जा सकता है कि ये रकमें मृतक के आश्रितों या उसके विधिक वारिसों को मोटर यान दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने के कारण प्रोद्भूत हुई थीं । दावेदार/आश्रित, किसी मोटर यान दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप मोटर यान अधिनियम के अधीन न्यायसंगत प्रतिकर के हकदार हैं । अतः, इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि ऐसे लाभ के बारे में, जो ऐसी किसी संविदा या कार्य के परिणामस्वरूप, जो मृतक ने अपने जीवनकाल में की है, मृतक या उसके आश्रितों की संपदा को प्रोद्भूत हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह मृतक की मृत्यु के कारण या उसके परिणामस्वरूप प्रोद्भूत हुआ है हालांकि हो सकता है ये रकमें उसकी मृत्यु के पश्चात् ही उसके आश्रितों को प्राप्त हों । जहां तक किसी बीमा पालिसी के अधीन संदत्त किसी रकम का संबंध है, मृतक या उसके आश्रितों की संपदा में जो कुछ भी जोड़ा जाता है वह मृतक की मृत्यु के कारण नहीं है बल्कि मृतक और उस बीमा कंपनी के बीच, जहां से उसने पालिसी ली थी, की गई संविदा के कारण होता है । मृतक ने ऐसी बीमा पालिसी पर प्रीमियम का संदाय किया था और यह रकम मृतक की संपदा में या तो पालिसी के परिपक्व होने पर या उसकी मृत्यु पर, चाहे उसकी मृत्यु किसी भी रीति में हुई हो, प्रोद्भूत हुई होगी । इन रकमों का संदाय इसलिए किया जाता है क्योंकि मृतक ने अपनी बचत का निवेश बुद्धिमत्तापूर्वक किया है । अन्य निवेशों, जैसे बैंक निक्षेप, शेयर, डिबेंचर आदि की दशा में भी यही स्थिति होगी । अपकृत्यकर्ता मृतक की दूरदर्शिता और उसके द्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक किए गए वित्तीय निवेशों का लाभ नहीं ले सकता है । जहां तक पेंशन और उपदान की रकमों का संबंध है, इन रकमों का संदाय मृतक द्वारा अपने नियोजक को प्रदान की गई सेवा के कारण किया जाता है । अब सेवा न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन और उपदान मृतक की संपत्ति है । ये रकमें आस्थगित मजदूरी की प्रकृति की हैं । मृतक कर्मचारी अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रत्यशा से कार्य करता है कि वह अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान के रूप में सारवान् रकम प्राप्त करेगा । ये रकमें मृत्यु होने पर

भी संदेय होती हैं, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो । इसलिए, इन्हीं सिद्धातों को लागू करते हुए, उक्त रकम की कटौती नहीं की जा सकती है । (पैरा 12, 13 और 14)

कटौती करने का आदेश केवल वहां दिया जा सकता है जहां कि अपकृत्यकर्ता न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि दावेदारों को जो रकम प्रोद्भूत हुई है वह किसी मोटर यान दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने के कारण प्रोद्भूत हुई है । इस मामले में मुद्दा यह है कि आय की हानि की संगणना करते समय, कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन प्राप्त की जा रही रकम की कटौती की जानी चाहिए अथवा नहीं ।. कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन, मृतक कर्मचारी के नामनिर्देशिती या विधिक वारिस (वारिसों) को कर्मचारी की मृत्यु होने पर उन्हें संदेय उपदान और अन्य सभी फायदों से संबंधित संपूर्ण रकम जमा करानी होती है । प्रस्तुत मामले में, यह साबित हो गया है कि दावेदारों ने मृतक की मृत्यु होने पर उनके द्वारा प्राप्त की गई 27,43,991/- रुपए की राशि नियोजक के पास जमा कर दी है और वे अब प्रतिमास लगभग 50,082/- रुपए प्राप्त कर रहे हैं । 50,082/- रुपए की यह रकम विधिक वारिसों को कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन केवल मृतक की सेवानिवृत्ति तक ही संदत्त की जानी है । भले ही 27,43,991/- रुपए की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज की संगणना की जाए तो भी वह 3,30,000/- रुपए प्रति वर्ष या 27,500/- रुपए प्रति मास होगी । अपीलार्थी-दावेदार 50,000/- रुपए प्रति मास अर्थात्, 22,500/- रुपए प्रतिमास अधिक प्राप्त कर रहे हैं किन्तु इसका संदाय केवल 30 अप्रैल, 2021 तक लगभग सात वर्ष की अवधि के लिए किया जाना है । इसके पश्चात् यह संदाय बन्द हो जाएगा । तथापि, चूंकि दावेदार काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं इसलिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में भावी संभावनाओं को विचार में न लेकर ठीक किया था । अतः, यद्यपि न्यायालय दावेदारों को संदेय रकम में से कटौती करने के लिए तत्पर नहीं है तथापि, मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में वे भावी संभावनाओं के रूप में 15 प्रतिशत की दर पर एक अन्य रकम

का दावा करने के हकदार नहीं हैं । कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन रकम के संदाय से भावी संभावनाओं की हानि की पूर्ति हो जाती है । यही "न्यायसंगत" प्रतिकर होगा । इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मृतक की महंगाई भत्ते सहित अंतिम आहरित आय, 58,565/- रुपए थी । मृतक इस रकम पर निश्चित रूप से कुछ आयकर का संदाय भी कर रहा होगा । चूंकि इसके संबंध में सही संगणना नहीं की गई है इसलिए इस प्रयोजनार्थ लगभग 2,565/- रुपए की कटौती की जाती है और आय की हानि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रति मास 56,000/- रुपए आय निर्धारित की जाती है । इस रकम में से एक-तिहाई, अर्थात्, 18,667/- रुपए की कटौती व्यक्तिगत व्ययों के रूप में की जाती है और कुटुम्ब की आश्रितता की हानि के रूप में प्रति मास 37,333/- रुपए शेष बचते हैं जो कि प्रति वर्ष 4,47,996/- रुपए बनते हैं । इस पर 11 का गुणज लागू करने पर, प्रतिकर 49,27,956/- रुपए आता है । इसके अतिरिक्त, दावेदार संपदा की हानि के लिए 15,000/- रुपए, सहजीविता की हानि के लिए 40,000/- रुपए, अंत्येष्टि व्ययों के लिए 15,000/- रुपए, अर्थात्, कुल 49,97,956/- रुपए के, जिसे 50,00,000/- रुपए तक पूर्णांकित किया जाता है, हकदार हैं । दावेदार, इस रकम पर याचिका फाइल करने की तारीख से रकम का संदाय किए जाने तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज के हकदार होंगे । स्पष्टतः, बीमा कंपनी पहले से संदत्त की गई रकमों की कटौती/समायोजन करने की हकदार होगी । (पैरा 16, 17, 18, 19, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	(2017) 16 एस. सी. सी. 680 : **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **प्रणय सेठी** ;	4, 11, 22
[2016]	(2016) 9 एस. सी. सी. 627 : **रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **शशि शर्मा** ;	4, 10, 18, 20

[2013]	(2013) 7 एस. सी. सी. 476 : **विमल कंवर** बनाम **किशोर दान** ;	9, 10
[2009]	(2009) 6 एस. सी. सी. 121 : **सरला वर्मा** बनाम **डी. टी. सी.** ;	3, 11
[2002]	(2002) 6 एस. सी. सी. 281 : **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **पैट्रिसिया जीन महाजन** ;	4, 8, 10
[1999]	(1999) 1 एस. सी. सी. 90 : **हेलेन सी. रेबेल्लो** बनाम **महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम** ;	4, 7, 8, 9, 10
[1969]	(1969) ए. सी. जे. 363 : **पैरी** बनाम **क्लीवर** ।	15

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 10588-10589.

2016 की मोटर दुर्घटना दावा अपील सं. 372 में उड़ीसा उच्च न्यायालय की कटक न्यायपीठ के तारीख 21 दिसम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री हितेन्द्र नाथ रथ और अविजित पटनायक

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अभिषेक कुमार, सुधीर नागर और सिद्धार्थ खटाना

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – इजाज़त दी जाती है ।

2. दावेदारों-अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई ये अपीलें उड़ीसा उच्च न्यायालय की कटक न्यायपीठ द्वारा दिए गए तारीख 21 दिसम्बर, 2017 के उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश-सह-पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

राउरकेला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिकरण" कहा गया है) द्वारा अधिनिर्णीत 40,90,000/- रुपए के प्रतिकर को घटाकर 36,00,000/- रुपए कर दिया गया था ।

3. अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक की मृत्यु के समय उसका पुनरीक्षित मूल वेतन 51,328/- रुपए था और वह 7,237/- रुपए के महंगाई भत्ते का हकदार था, अर्थात्, वह कुल 58,565/- रुपए प्राप्त कर रहा था । तथापि, अधिकरण ने प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए, मृतक की मासिक आय 50,000/- रुपए प्रति मास निर्धारित की और उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए 1/3 रकम की कटौती की जिसके परिणामस्वरूप 33,333/- रुपए प्रति मास की रकम शेष रह गई । चूंकि मृतक की आयु 52 वर्ष थी इसलिए अधिकरण ने **सरला वर्मा** बनाम **डी. टी. सी.**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए 11 का गुणज लागू किया और आय की हानि के लिए 40,00,000/- रुपए का प्रतिकर निर्धारित किया, अंतेष्टि व्यय के लिए 25,000/- रुपए, संपदा की हानि के लिए 5,000/- रुपए, सहजीविता की हानि मद्धे 50,000/- रुपए तथा स्नेह की हानि के लिए 10,000/- रुपए जोड़े गए, अर्थात् दावेदारों को कुल 40,90,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था । दावेदारों और बीमा कंपनी ने प्रतिकर की रकम को चुनौती देते हुए अपीलें फाइल कीं । बीमा कंपनी द्वारा उठाया गया मुख्य आधार यह था कि दावेदारों को कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन 50,082/- रुपए प्रति मास की राशि का संदाय किया जा रहा था । उच्च न्यायालय ने कोई कारण दिए बिना प्रतिकर में लगभग 5,00,000/- रुपए की कमी करके उसे 36,00,000/- रुपए कर दिया । किसी भी न्यायिक निर्णय के लिए कारण उसके मर्म होते हैं । कोई भी न्यायिक आदेश कारण दिए बिना पूर्ण नहीं होता है और यह प्रत्याशा की जाती है कि प्रत्येक ऐसे न्यायालय को. जो आदेश पारित करता है, उसके लिए कारण देने चाहिएं ।

4. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान काउन्सेलों की सुनवाई की है और हमारे समक्ष इस संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है कि मृतक

---

[1] (2009) 6 एस. सी. सी. 121.

की महंगाई भत्ते सहित अंतिम आहरित आय 58,565/- रुपए प्रति मास थी । बीमा कंपनी के अनुसार, चूंकि दावेदार कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन 50,082/- रुपए की राशि प्राप्त कर रहे हैं इसलिए **रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **शशि शर्मा**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के निबंधनानुसार इस रकम की कटौती की जानी चाहिए । दूसरी ओर, दावेदारों/अपीलार्थियों ने यह निवेदन किया है कि **हेलेन सी. रेबेल्लो** बनाम **महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम**[2] और **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **पैट्रिसिया जीन महाजन**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए । अपीलार्थियों ने आगे यह दलील दी कि वास्तव में, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **प्रणय सेठी**[4] वाले मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार भावी संभावनाओं मद्धे 15 प्रतिशत रकम जोड़ी जानी चाहिए ।

5. मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 में यह आदिष्ट है कि दावेदारों को "न्यायसंगत प्रतिकर" का संदाय किया जाना चाहिए । प्रतिकर की संगणना करने की ऐसी कोई पद्धति, जिसके द्वारा "न्यायसंगत प्रतिकर" अधिनिर्णीत नहीं किया जाता है, अधिनियम के अनुसार नहीं होगी । "न्यायसंगत" शब्द का आयाम काफी व्यापक है । न्यायालयों को किसी शब्द का निर्वचन ऐसी रीति में करना चाहिए जिससे अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति होती हो, जो कि मृतक के आश्रितों को पर्याप्त और न्यायसंगत प्रतिकर प्रदान करना है । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रतिकर का संदाय केवल एक बार न कि बार-बार किया जा सकता है ।

6. पारंपरिक मत यह था कि न्यायालय को प्रतिकर का निर्धारण करते समय दावेदारों को मृतक की मृत्यु द्वारा कारित आय की हानि का निर्धारण करना चाहिए और उनका उन प्रसुविधाओं के साथ संतुलन बनाना

---

[1] (2016) 9 एस. सी. सी. 627.

[2] (1999) 1 एस. सी. सी. 90.

[3] (2002) 6 एस. सी. सी. 281.

[4] (2017) 16 एस. सी. सी. 680.

चाहिए जो कि मृतक की मृत्यु के कारण प्रोद्भूत हो सकती हैं । तथापि, जब इस पारंपरिक मत का अनुसरण किया जा रहा था, तब भी विधि की यह सुस्थापित स्थिति थी कि अपकृत्यकर्ता अन्य व्यक्तियों की उदारता या अनुग्रहता का फायदा नहीं ले सकता है ।

7. **हेलेन सी. रेबेल्लो** (उपर्युक्त) वाले मामले में, विवाद्यक यह था कि मृतक द्वारा भविष्य निधि, पेंशन, जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम से और इसी प्रकार नकद, बैंक अतिशेष, शेयर, नियतकालिक निक्षेप आदि के रूप में प्राप्त रकमें मृतक की मृत्यु के कारण उसके वारिसों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले धनीय लाभ हैं और प्रतिकर में से उनकी कटौती की जा सकती है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इन रकमों का मोटर यान अधिनियम के अधीन आश्रितों द्वारा प्राप्य प्रतिकर से कोई परस्पर-संबंध नहीं है । न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां की गई थीं :-

> "35. व्यापक रूप से, हम भविष्य निधि की प्राप्ति की परीक्षा कर सकते हैं, जो कि किसी कर्मचारी द्वारा उसके सेवाकाल के दौरान किए गए अभिदाय में से किया जाने वाला आस्थगित संदाय होता है । ऐसा कर्मचारी या उसके वारिस, इस रकम को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के बावजूद भी प्राप्त करने के हकदार होते हैं । यह रकम प्रतिभूत होती है और वह निश्चित रूप से प्राप्त की जाती है जबकि मोटर यान अधिनियम के अधीन आने वाली रकम अनिश्चित होती है और वह केवल किसी घटना, अर्थात्, दुर्घटना के घटित होने पर ही प्राप्त की जा सकती है और हो सकता है कि वह घटित ही न हो । इसी प्रकार, कुटुम्ब पेंशन भी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा शर्तों के निबंधनानुसार सेवा में उसके अंशदान के रूप में अपने कुटुम्ब के फायदे के लिए उपार्जित की जाती है और वह उसके वारिसों द्वारा उसकी मृत्यु के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती है । उसके वारिस दुर्घटना के कारण मृत्यु से अन्यथा भी कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करते हैं । इन दोनों के बीच कोई अंतर्संबंध नहीं है । इसी प्रकार, जीवन बीमा पालिसी बीमाकृत व्यक्ति या

उसके वारिसों द्वारा बीमाकर्ता के साथ की गई संविदा के कारण प्राप्त की जाती है, जिसके लिए बीमाकृत व्यक्ति प्रीमियम के रूप में अभिदाय करता है । यह बीमाकृत व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त की जाती है यदि वह समस्त प्रीमियम का संदाय करने के पश्चात् परिपक्वता की तारीख तक जीवित रहता है । मृत्यु की दशा में, बीमाकर्ता वारिसों को उस राशि का संदाय करने की क्षतिपूर्ति करता है और वह भी पुनः संदत्त प्रीमियम के लिए संविदा के निबंधनों के अनुसार होता है । पुनः दावेदारों द्वारा यह रकम किसी दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के कारण नहीं बल्कि बीमाकृत व्यक्ति की अन्यथा मृत्यु होने पर भी प्राप्त की जाती है । संविदा के निबंधनों के अनुसार, रकम प्राप्त करने के लिए मृत्यु केवल एक चरण या आकस्मिकता है । इसी प्रकार, यद्यपि कोई नकदी, बैंक अतिशेष, शेयर, नियतकालिक निक्षेप, इत्यादि सभी फायदे किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उसके वारिसों को प्राप्त होने वाले धनीय लाभ हैं तथापि, इन सभी प्राप्तियों का किसी कानून के अधीन केवल दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के कारण प्राप्त होने वाली रकम से कोई अंतर्संबंध नहीं होता है । ऐसी रकम मोटर यान अधिनियम की परिधि के भीतर किस प्रकार आ सकती है जिससे कि उसे कटौती के लिए दायी "धनीय लाभ" के रूप में परिभाषित किया जा सके । जब हम लाभ और हानि के सिद्धांत की ईप्सा करते हैं तब वह समरूप और उसी स्तर पर होना चाहिए जिसका उनके बीच परस्पर संबंध हो न कि ऐसी बात से जिससे किसी प्रकार के सह-संबंध होने का आभास नहीं होता है । बीमाकृत (मृतक) अपने धन का अभिदाय करता है जिसके बदले वह ऐसी रकम प्राप्त करता है और उसका अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध दुर्घटना के कारण उसकी उपेक्षा के लिए संगणित प्रतिकर से कोई संबंध नहीं होता है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम के अधीन प्रतिकर के रूप में प्राप्य रकम उसके मद्धे कोई अभिदाय किए बिना क्षति या मृत्यु के कारण देय होती है, तब बीमाकृत व्यक्ति के अभिदायों के माध्यम से प्राप्त किसी रकम की प्राप्ति की कटौती मोटर यान अधिनियम के अधीन प्राप्य रकम में से किस प्रकार की जा सकती है । इस अधिनियम के अधीन जो रकम वह प्राप्त करता है वह किसी प्रकार

का अभिदाय किए बिना होती है । जैसा कि हमने कथन किया है, मोटर यान अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर कानूनी है जबकि जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्य रकम संविदागत होती है ।"

8. **पैट्रिसिया जीन महाजन** (उपर्युक्त) वाले मामले में, मृतक संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाला एक डाक्टर था । उसकी भारत में दौरे के दौरान मृत्यु हो गई । उसकी पत्नी ने मृतक की जीवन बीमा पालिसियों के कारण 2,50,000 डालर की रकम प्राप्त की थी । उसने 8 या 9 मास तक बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त किया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि निर्धारित प्रतिकर में से इन रकमों की कटौती की जानी चाहिए । इस न्यायालय ने इस विषय पर संपूर्ण विधि, जिसके अंतर्गत **हेलेन सी. रेबेल्लो** (उपर्युक्त) वाला विनिश्चय भी है, के प्रतिनिर्देश करने के पश्चात् निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"36. हम **हेलेन सी. रेबेल्लो** (उपर्युक्त) वाले मामले में की गई इन मताभिव्यक्तियों से पूर्णतः सहमत हैं कि प्रतिकर की रकम निकालने के लिए मृत्यु के कारण हुए लाभ और हानि के बीच संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत एक सामान्य नियम है किन्तु जो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है वह यह है कि दावेदारों की ऐसी प्राप्तियों का, दुर्घटना के कारण हुई उस मृत्यु से, जिसके एकमात्र कारणवश दावेदारों ने रकमें प्राप्त की हैं, कुछ सह-संबंध अवश्य होना चाहिए । हम यह नहीं समझते हैं कि हमारे लिए घातक दुर्घटना अधिनियम और मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के बीच विभेद के प्रश्न की परीक्षा करना आवश्यक होगा । इस निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में निर्दिष्ट विनिश्चयों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा के मद्धे उस रकम का, जो प्राप्त की जा सकती है, दुर्घटना के कारण पहुंची क्षति या मृत्यु से अंतर्बंधन या संबंध होना चाहिए जिससे कि प्रतिकर की रकम में से उसकी कटौती की जा सके । प्राप्त की गई रकम और दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के बीच कुछ अंतर्संबंध होना चाहिए या वह उसी परिधि में आ सकती है अन्यथा प्राप्त की गई रकम की प्रतिकर की रकम में से कटौती नहीं की जाएगी । इस प्रकार, मृतक की बीमा पालिसी के मद्धे प्राप्त की गई

रकम की कटौती प्रतिकर की रकम में से नहीं की जा सकती है हालांकि, निस्संदेह, बीमाकृत व्यक्ति की समयपूर्व मृत्यु के कारण बीमा की रकम शीघ्र प्राप्त हुई है । जहां तक ऐसी अन्य मदों का संबंध है, जिनकी बाबत बीमा कंपनी के विद्वान् काउंसेल की ओर से जोरदार दलील दी गई है, उदाहरणार्थ, सामाजिक सुरक्षा पद्धति के अधीन बालकों और श्रीमती पैट्रिसिया महाजन को संदत्त किया गया कोई भत्ता, उन प्राप्तियों का दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु से कोई संबंध स्थापित करना तो दूर, उसे दर्शाया भी नहीं गया है । इस तथ्य के अलावा कि इस निधि को गठित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से अभिदाय आते हैं, जिनमें से सामाजिक सुरक्षा पद्धति मद्धे संदाय किया जाता है, उस निधि के घटकों में से एक घटक वह कर होता है जो इस प्रयोजनार्थ आय से काटा जाता है । हम यह महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय ने बीमा पालिसी के अधीन प्राप्तियों और सामाजिक सुरक्षा पद्धति के अधीन प्राप्तियों की रकम में से कोई कटौती अननुज्ञात करके ठीक ही किया है जिसके लिए दावेदार डा. महाजन की दुर्घटना के कारण मृत्यु न होने पर भी अन्यथा प्राप्त करने का हकदार होता । यदि 'किसी भी स्रोत से हुई प्राप्तियां' प्रतिपादना का इतना व्यापक निर्वचन किया जाता है कि उसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आ सकेंगी जो आहत व्यक्ति की मृत्यु के कारण दावेदारों को प्राप्त हो सकती हैं, तो इससे अधिनियम का वह प्रयोजन ही विफल हो जाएगा जिसमें दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु पर न्यायसंगत प्रतिकर देने का उपबंध किया गया है । ऐसे अभिलाभ, मृतक द्वारा की गई बचत या अन्य निवेश के कारण हो सकते हैं और इसका फायदा दोषी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा और यदि मृतक ने कभी भी कोई बीमा पालिसी न ली हो या भावी फायदे के लिए निवेश न किया हो तो दावेदार को बुरी हालत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।"

9. इसके पश्चात्, **विमल कंवर** बनाम **किशोर दान** वाले मामले में ऐसा ही मामला विचारार्थ उद्भूत हुआ । इस न्यायालय ने **हेलेन सी. रेबेल्लो** (उपर्युक्त) वाले मामले का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित

---

[1] (2013) 7 एस. सी. सी. 476.

किया कि वारिसों द्वारा भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के रूप में प्राप्त की गई रकमों को कटौती के लिए दायी "धनीय लाभ" के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है । इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति पर प्राप्त वेतन की कटौती नहीं की जा सकती है ।

10. **शशी शर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने मृतक के विधिक वारिसों को हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारी आश्रित अनुकंपा सहायता नियम, (हरियाणा कंपेशनेट असिसटेंस टू दि डिपेंडेंट्स ऑफ डिसीज़ड गवर्नमेंट एम्पलाइज रूल्स), 2006 के नियम 5(1) के निबंधनानुसार किए गए संदायों पर विचार किया था । उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसका कुटुम्ब नियमों में उपवर्णित अवधि तक वित्तीय सहायता के रूप में उस वेतन और अन्य भत्तों के समान रकम प्राप्त करता रहेगा, जो कि मृतक कर्मचारी द्वारा अंत में आहरित किए गए थे, और उक्त अवधि के पश्चात्, कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने का हकदार था । कुटुम्ब अनुग्रह के रूप में 25,000/- रुपए के संदाय के अलावा, एक वर्ष तक की अवधि के लिए सरकारी आवास-स्थान प्रतिधारित करने का भी हकदार होगा । इस मामले में, तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **हेलेन सी. रेबेल्लो** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित और **पैट्रिसिया जीन महाजन** (उपर्युक्त) वाले मामले में अनुसरण किए गए सिद्धांतों का उल्लेख किया और यह निष्कर्ष निकाला कि **विमल कंवर** (उपर्युक्त) वाले मामले में **हेलेन सी. रेबेल्लो** (उपर्युक्त) या **पैट्रिसिया जीन महाजन** (उपर्युक्त) वाले मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है । निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां सुसंगत हैं :–

> "15. इस विनिश्चय में **हेलन सी. रबैल्लो** (उपर्युक्त) वाले मामले में प्रतिपादित यह सिद्धांत कि सामान्य विधि के अधीन नुकसानी का अनुमान लगाने के लिए साधारण सिद्धांतों को लागू करने का अवलंब मोटर यान अधिनियम के अधीन प्रतिकर की संगणना करने के लिए नहीं लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, "धनीय लाभ" का, चाहे वह किसी भी स्रोत से हो, मोटर दुर्घटना के

> कारण पहुंची क्षति या हुई मृत्यु से परस्पर-संबंध अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार अपनाया गया दृष्टिकोण, मोटर यान अधिनियम, 1939 के सुसंगत उपबंधों का सही विश्लेषण और निर्वचन है और यह अपने बल द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 के तत्स्थानी उपबंधों को अवश्य ही लागू होना चाहिए । इस सिद्धांत को **पैट्रिसिया जीन महाजन** (उपर्युक्त) वाले मामले में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ वाले पश्चात्वर्ती विनिश्चय में बीमा कंपनी के इस तर्क को नामंजूर करने के लिए दोहराया गया है कि मृतक के आश्रितों द्वारा 'सामाजिक सुरक्षा प्रतिकर' और 'जीवन बीमा पालिसी' के रूप में प्राप्य रकम की कटौती की जाए ।"

तथापि, न्यायालय ने स्कीम के संबंध में विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए और मोटर यान अधिनियम के अधीन संदेय न्यायसंगत प्रतिकर का अवधारण करने के लिए उक्त नियमों के अधीन कर्मचारी द्वारा अंत में आहरित "वेतन और अन्य भत्ते" शीर्ष के अधीन प्राप्त की गई रकम को अपवर्जित करना उचित होगा । हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि यह न्यायालय **हेलेन सी. रेबेल्लो** (उपर्युक्त) या **पैट्रिसिया जीन महाजन** (उपर्युक्त) वाले मामलों में अधिकथित प्रतिपादना से सिद्धांततः असहमत नहीं हुआ है किन्तु न्यायसंगत प्रतिकर की गणना करते समय उसने कानूनी नियमों के अधीन प्राप्त वेतन की कटौती करने का आदेश दिया था ।

11. भारतीय न्यायालयों ने प्रतिकर का निर्धारण करते समय गुणज पद्धति का निरंतर अनुसरण किया है और जहां तक गुणज के विकल्प का संबंध है, **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दोहराया गया है ।

12. इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि प्रतिकर की रकम में से मृतक के बीमे के कारण या पेंशनिक फायदों या उपदान या उसके रिश्तेदार को नियोजन देने के कारण कटौतियां अनुज्ञात नहीं की जा सकती हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि ये सभी रकमें मृतक द्वारा अन्य व्यक्तियों से किए गए संविदागत संबंधों के कारण उपार्जित की

जाती हैं । यह नहीं कहा जा सकता है कि ये रकमें मृतक के आश्रितों या उसके विधिक वारिसों को मोटर यान दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने के कारण प्रोद्भूत हुई थीं । दावेदार/आश्रित, किसी मोटर यान दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप मोटर यान अधिनियम के अधीन न्यायसंगत प्रतिकर के हकदार हैं । अतः, इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि ऐसे लाभ के बारे में, जो ऐसी किसी संविदा या कार्य के परिणामस्वरूप, जो मृतक ने अपने जीवनकाल में की है, मृतक या उसके आश्रितों की संपदा को प्रोद्भूत हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह मृतक की मृत्यु के कारण या उसके परिणामस्वरूप प्रोद्भूत हुआ है हालांकि हो सकता है ये रकमें उसकी मृत्यु के पश्चात् ही उसके आश्रितों को प्राप्त हों ।

13. जहां तक किसी बीमा पालिसी के अधीन संदत्त किसी रकम का संबंध है, मृतक या उसके आश्रितों की संपदा में जो कुछ भी जोड़ा जाता है वह मृतक की मृत्यु के कारण नहीं है बल्कि मृतक और उस बीमा कंपनी के बीच, जहां से उसने पालिसी ली थी, की गई संविदा के कारण होता है । मृतक ने ऐसी बीमा पालिसी पर प्रीमियम का संदाय किया था और यह रकम मृतक की संपदा में या तो पालिसी के परिपक्व होने पर या उसकी मृत्यु पर, चाहे उसकी मृत्यु किसी भी रीति में हुई हो, प्रोद्भूत हुई होगी । इन रकमों का संदाय इसलिए किया जाता है क्योंकि मृतक ने अपनी बचत का निवेश बुद्धिमत्तापूर्वक किया है । अन्य निवेशों, जैसे बैंक निक्षेप, शेयर, डिबेंचर आदि की दशा में भी यही स्थिति होगी । अपकृत्यकर्ता मृतक की दूरदर्शिता और उसके द्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक किए गए वित्तीय निवेशों का लाभ नहीं ले सकता है ।

14. जहां तक पेंशन और उपदान की रकमों का संबंध है, इन रकमों का संदाय मृतक द्वारा अपने नियोजक को प्रदान की गई सेवा के कारण किया जाता है । अब सेवा न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन और उपदान मृतक की संपत्ति है । ये रकमें आस्थगित मजदूरी की प्रकृति की हैं । मृतक कर्मचारी अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रत्याशा से कार्य करता है कि वह अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान के रूप में सारवान् रकम प्राप्त करेगा । ये रकमें

मृत्यु होने पर भी संदेय होती हैं, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो । इसलिए, इन्हीं सिद्धातों को लागू करते हुए, उक्त रकम की कटौती नहीं की जा सकती है ।

15. जैसा कि **पैरी** बनाम **क्लीवर**[1] वाले मामले में हाउस ऑफ लाड्र्स द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, बीमे की रकम इससे पूर्व संदत्त किए गए प्रीमियम का फल होता है, पेंशन, इससे पूर्व प्रदान की गई सेवाओं का फल होता है और निर्धारित की गई नुकसानी में से उसके कटौती करके अपकृत्यकर्ता को इसका फायदा नहीं दिया जाना चाहिए ।

16. कटौती करने का आदेश केवल वहां दिया जा सकता है जहां कि अपकृत्यकर्ता न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि दावेदारों को जो रकम प्रोद्भूत हुई है वह किसी मोटर यान दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने के कारण प्रोद्भूत हुई है ।

17. हमारे समक्ष मुद्दा यह है कि हमें आय की हानि की संगणना करते समय, कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन प्राप्त की जा रही रकम की कटौती करनी चाहिए अथवा नहीं ।

18. कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम उन नियमों से, जो कि **शशी शर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विचाराधीन थे, पूर्णतः भिन्न है । इस स्कीम के अधीन, मृतक कर्मचारी के नामनिर्देशिती या विधिक वारिस (वारिसों) को कर्मचारी की मृत्यु होने पर उन्हें संदेय उपदान और अन्य सभी फायदों से संबंधित संपूर्ण रकम जमा करानी होती है ।

19. प्रस्तुत मामले में, यह साबित हो गया है कि दावेदारों ने मृतक की मृत्यु होने पर उनके द्वारा प्राप्त की गई 27,43,991/- रुपए की राशि नियोजक के पास जमा कर दी है और वे अब प्रतिमास लगभग 50,082/- रुपए प्राप्त कर रहे हैं । 50,082/- रुपए की यह रकम विधिक वारिसों को कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन केवल मृतक की सेवानिवृत्ति तक ही संदत्त की जानी है । भले ही 27,43,991/- रुपए की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज की संगणना की जाए तो भी वह 3,30,000/- रुपए प्रति वर्ष या 27,500/- रुपए प्रति मास होगी । अपीलार्थी-दावेदार 50,000/- रुपए प्रति मास अर्थात्, 22,500/- रुपए

---

[1] (1969) ए. सी. जे. 363.

प्रतिमास अधिक प्राप्त कर रहे हैं किन्तु इसका संदाय केवल 30 अप्रैल, 2021 तक लगभग सात वर्ष की अवधि के लिए किया जाना है । इसके पश्चात् यह संदाय बन्द हो जाएगा ।

20. उपर्युक्त संदाय **शशी शर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में नियोजक द्वारा किए गए संदाय से पूर्णतः भिन्न है, जो कि कानूनी प्रकृति का था । अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस रकम की कटौती नहीं की जा सकती है ।

21. तथापि, चूंकि दावेदार काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में भावी संभावनाओं को विचार में न लेकर ठीक किया था । अतः, यद्यपि हम दावेदारों को संदेय रकम में से कटौती करने के लिए तत्पर नहीं है तथापि, हम यह महसूस करते हैं कि मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में वे भावी संभावनाओं के रूप में 15 प्रतिशत की दर पर एक अन्य रकम का दावा करने के हकदार नहीं हैं । कर्मचारी कुटुम्ब प्रसुविधा स्कीम के अधीन रकम के संदाय से भावी संभावनाओं की हानि की पूर्ति हो जाती है । हमारी राय में, यह "न्यायसंगत" प्रतिकर होगा ।

22. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मृतक की अंतिम आहरित आय, महंगाई भत्ते सहित 58,565/- रुपए थी । मृतक इस रकम पर निश्चित रूप से कुछ आयकर का संदाय भी कर रहा होगा । चूंकि इसके संबंध में सही संगणना नहीं की गई है इसलिए हम इस प्रयोजनार्थ लगभग 2,565/- रुपए की कटौती करते हैं और आय की हानि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रति मास 56,000/- रुपए आय निर्धारित करते हैं । इस रकम में से एक-तिहाई, अर्थात्, 18,667/- रुपए की कटौती व्यक्तिगत व्ययों के रूप में की जाती है और कुटुम्ब की आश्रितता की हानि के रूप में प्रति मास 37,333/- रुपए शेष बचते हैं जो कि प्रति वर्ष 4,47,996/- रुपए बनते हैं । इस पर 11 का गुणज लागू करने पर, प्रतिकर 49,27,956/- रुपए आता है । इसके अतिरिक्त, **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, दावेदार संपदा की हानि के लिए 15,000/- रुपए, सहजीविता

की हानि के लिए 40,000/- रुपए, अंत्येष्टि व्ययों के लिए 15,000/- रुपए, अर्थात्, कुल 49,97,956/- रुपए के, जिसे 50,00,000/- रुपए तक पूर्णांकित किया जाता है, हकदार हैं । दावेदार, इस रकम पर याचिका फाइल करने की तारीख से रकम का संदाय किए जाने तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज के हकदार होंगे । स्पष्टतः, बीमा कंपनी पहले से संदत्त की गई रकमों की कटौती/समायोजन करने की हकदार होगी ।

23. अपीलें उपर्युक्त निबंधनानुसार मंजूर की जाती हैं । लंबित आवेदनों का, यदि कोई हैं, निपटारा किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.

[2019] 2 उम. नि. प. 201

कमला और अन्य

बनाम

एम. आर. मोहन कुमार

24 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. भानुमती और न्यायमूर्ति (सुश्री) इन्दिरा बनर्जी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 – भरण-पोषण – विवाह का सबूत – जब पत्नी के साक्ष्य, बालकों के जन्म प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य से विधिमान्य विवाह की उपधारणा उद्भूत होती है और पत्नी के साक्ष्य की स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से संपुष्टि हो जाती है तब पत्नी भरणपोषण की हकदार होगी क्योंकि भरणपोषण के लिए विवाह के ठोस मानक का सबूत आवश्यक नहीं होता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 125 और 401 – भरणपोषण –